इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 537]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 सितम्बर 2022—आश्विन 8, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

क्र. 14822-237-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 सितम्बर 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

> मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२२

धाराएं :

- १. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
- २.. धारा २ का संशोधन.
- ३. धारा ४१ का संशोधन.
- ४. धारा ६४ का प्रतिस्थापन.
- ५. धारा ७१ का संशोधन.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १६ सन् २०२२

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २९ सितम्बर, २०२२ को राज्यपाल की अनुमित प्राप्त हुई. अनुमित ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'' में दिनांक ३० सितम्बर, २०२२ को प्रथमबार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.

- १. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०२२ है.
- (२) इस संशोधन अधिनियम की धारा २ का उपबंध १ अप्रैल २०२२ से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा तथा इस संशोधन अधिनियम के शेष उपबंध मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- धारा २ का २. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २०२२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम संशोधन. निर्दिष्ट है) की धारा २ के खण्ड (म) के परन्तुक में, अक्षर तथा अंक, ''एफ.एल. ४-ए'', के स्थान पर अक्षर तथा अंक, ''एफ. एल. २-ए ए'', स्थापित किए जाएं.
- धारा ४१ का ३. मूल अधिनियम की धारा ४१ में, शब्द कोष्ठक तथा अंक ''धारा ६४ की उपधारा (२) के अधीन की शक्तियों संशोधन. तथा कर्तव्यों को छोड़कर,'' का लोप किया जाए.
- धारा ६४ का ४. मूल अधिनियम की धारा ६४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:— प्रतिस्थापन.

 शास्तियां "६४. जहां कोई व्यक्ति—
 - (क) धारा १२ या धारा ३५ की उपधारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में कर के रूप में किसी रकम का संग्रहण करता है; या
 - (ख) धारा १४ की उपधारा (१) के उपबंधों के उल्लंघन में आगत कर पर रिबेट का दावा करता है; या
 - (ग) (एक) धारा १७ की उपधारा (१) या उपधारा (२) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार स्वयं को रजिस्ट्रीकृत नहीं कराता है; या
 - (दो) धारा १७ की उपधारा (८) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार कोई जानकारी देने में उपेक्षा करता है; या
 - (घ) धारा १८ की उपधारा (१) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार पर्याप्त कारण के बिना कोई विवरणी प्रस्तुत नहीं करता है या मिथ्या प्रस्तुत करता है या मिथ्या विवरण देता है; या
 - (ङ) युक्तियुक्तकारण के बिना शोध्य कर का भुगतान अनुज्ञात समय के भीतर नहीं है; या

- (च) धारा ३९ के अधीन उससे की गई किन्हीं अपेक्षाओं के अनुसार, विक्रयों या क्रयों के लेखा या अभिलेख नहीं रखता है; या
- (छ) धारा ४० के अधीन अपेक्षित किए गए अनुसार बिल, बीजक या केशमेमों देने अथवा बिल, बीजक या केशमेमों के प्रतिपर्ण रखने या परिरक्षित करने में चूक करता है या उपेक्षा करता है; या
- (ज) जानते हुए गलत लेखाओं, रिजस्टरों या दस्तावेजों को पेश करता है या जानते हुए गलत जानकारी प्रस्तुत करता है; या
- (झ) धारा ४४ या धारा ५५ के अधीन उससे की गई किसी अपेक्षा का अनुपालन करने से इंकार करता है या उसका अनुपालन नहीं करता है; या
- (ञ) (एक) धारा ५७ के अधीन घोषणा फाइल नहीं करता है; या
 - (दो) धारा ५७ के अधीन किसी यान की तलाशी रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाता है; या
 - (तीन) धारा ५९ या ६० के अधीन किसी यान की तलाशी रोकता है या उसमें बाधा डालता है या किसी माल का निरीक्षण करने में बाधा पहुंचाता है; या
 - (चार) धारा ६१ के अधीन घोषणा फाइल करने में असफल रहता है ; या
 - (पांच) धारा ६२ के अधीन जानकारी नहीं देता है या लेखाओं, रजिस्टरों और दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करता है; या
 - (छह) धारा ६३ द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार जानकारी नहीं देता है या विवरण प्रस्तुत नहीं करता है; या
- (ट) इस अधिनियम के अधीन विहित सत्यापन या घोषणा में ऐसा मिथ्या विवरण देता है जिसके कि मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान है या विश्वास है या जिसके कि सत्य होने का वह विश्वास नहीं करता है,
- तो वह ऐसे व्यतिक्रम, जिसके लिए इस अधिनियम में पृथक् रूप से कोई शास्ति उपबंधित नहीं की गई है, के लिए शास्ति का भुगतान करने का दायी होगा, जो प्रत्येक मामले में, पचास हजार रुपए तक हो सकेगी, जो आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जा सकेगी.

स्पष्टीकरण.—इस धारा के अधीन शास्ति का भुगतान किए जाने के दायित्व के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति व्यापारी या व्यक्ति से अभिप्रेत होगा,—

- (क) किसी भागीदारी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में भागीदार:
- (ख) किसी सहकारी सोसायटी के संबंध में प्रबंधक निकाय का अध्यक्ष तथा सिचव;
- (ग) स्वत्वधारिता वाली किसी व्यापार संस्था (कन्सर्न) के संबंध में स्वत्वधारी:
- (घ) किसी हिंदु अविभक्त कुटुम्ब के संबंध में कर्ता या प्रबंधक; और
- (ङ) कंपनी अधिनियम, २०१३ (क्रमांक १८ सन् २०१३) के अधीन निगमित किसी कंपनी के संबंध में सचिव, प्रबंधक तथा निदेशक.''.

५. मूल अधिनियम की धारा ७१ की उपधारा (२) के खण्ड (भ) का लोप किया जाए.

धारा ७१ का संशोधन.

भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2022

क्र. -236-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, 2022 (क्रमांक 16 सन् 2022) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदृद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT NO. 16 of 2022 THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2022

TABLE OF CONTENTS

Sections:

- 1. Short title and commencement.
- 2. Amendment of Section 2.
- 3. Amendment of Section 41.
- 4. Substitution of Section 64.
- 5. Amendment of Section 71.

MADHYA PRADESH ACT No. 16 of 2022 THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ACT, 2022

[Received the assent of the Governor on the 29th September, 2022; assent first published in the Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 30th September, 2022.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

- 1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Act, 2022.
- (2) The provision of Section 2 of this amendment Act shall be deemed to have come into force from 1st April, 2022 and remaining provisions of this amendment Act shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 2.

2. In proviso to clause (y) of Section 2 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), for the letters and figure "F.L.4-A", the letters and figure "FL2-AA" shall be substituted.

Amendment of Section 41.

3. In Section 41 of the principal Act, the words bracket and figures "except those under sub-Section (2) of Section 64" shall be omitted.

Substitution of Section 64.

- "64. Penalties
- 4. For Section 64 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—Where a person -—
 - (a) collects any amount by way of tax in contravention of the provisions of Section 12 or sub-section (1) of Section 35; or
 - (b) claims input tax rebate in contravention of the provisions of sub-section (1) of Section 14; or
 - (c) (i) fails to get himself registered as required by sub-section (1) or sub-section (2) of Section 17; or
 - (ii) neglects to furnish any information as required by sub-section (8) of Section 17; or
 - (d) fails, without sufficient cause, to submit any return as required by sub-section (1) of Section 18 or submits a false return or furnishes a false statement; or

- (e) without reasonable cause fails to pay the tax due within the time allowed; or
- (f) fails to keep accounts or records of sales or purchases in accordance with any requirement made by him under Section 39; or
- (g) fails or neglects to issue bill, invoice or cash memorandum or to keep or preserve the counter foil of the bill, invoice or cash memorandum as required under Section 40;
- (h) knowingly produces incorrect accounts, registers or documents or knowingly furnishes incorrect information; or
- (i) refuse or fails to comply with any requirement made by him under Section 44 or Section 55; or
- (j) (i) fails to file a declaration under Section 57; or
 - (ii) prevents or obstructs the interception or search of any vehicle or obstructs inspection of any goods under Section 57; or
 - (iii) prevents or obstructs the interception or search of any vehicle or obstructs inspection of any goods under Section 59 or 60; or
 - (iv) fails to file a declaration under Section 61; or
 - fails to furnish information or produce accounts, registers and documents under Section 62; or
 - (vi) fails to furnish information or statements as required by Section 63; or
- (k) makes a false statement in a verification or declaration prescribed under this Act which he either knows or believes to be false or does not believe to be true, he shall be liable to pay penalty which may extend to fifty thousand rupees in each case, as may be imposed by the Commissioner, for such defaults, for which no penalty is separately provided for in the Act.

Explanation—For the purpose of liability to pay penalty under this Section the expression dealer or person shall mean—

- (a) the partners in relation to a partnership concern;
- (b) the president and secretary of the managing body in relation to cooperative society;
- (c) the proprietor in relation to a proprietorship concern;
- (d) the karta or manager in relation to Hindu Undivided Family; and
- (e) the Secretary, manager and directors in relation to a company incorporated under the Companies Act, 2013 (No. 18 of 2013).".
- 5. Clause (x) of sub-section (2) of Section 71 of the principal Act, shall be omitted.

Amendment of Section 71.